(2)

(8)

संख्या:— 3819 / III(2) / 12— 15 (सा०आ०) / 2012

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

पत्र प्राप्ति अनुभाग
प्राप्ति क्रमांक 1558
दिनांक 31-10-12
पत्रावली सं० 10 सी

लोक निर्माण अनुभाग—2 देहरादून: दिनांक: 18 अक्टूबर, 2012

विषय:— जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 02 (दो) कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र सं0—2605 / 36(3)याता0—पर्व0 / 2012 दिनांक 26.07.2012 द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये 02 कार्यो के आगणन कुल लम्बाई 18.00किमी0 मोटर मार्ग + 200 मी0स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु के नव निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए, इस हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये धनराशि ₹ 242.80 लाख की लागत के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त पाई गयी औचित्यपूर्ण लागत ₹ 242.80 लाख (₹ दो करोड़ ब्यालीस लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 में व्यय हेतु संलग्नक के कालम 5 में उल्लिखित विवरणानुसार प्रत्येक कार्य हेतु 0.50 लाख अर्थात कुल ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:—1764 / III(2) / 10—17 (सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म्स से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही हो, तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स—2008 एवं उक्त के विषय में समय—समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:—2047 / XIV—219(2006) दिनांक 30—05—2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः 2 /—

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी
(viii) अभियन्ता का होगा।

उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0,भूमि अधिग्रहण,यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि संबंधी मदों के
(ix) सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0--30--लेखाशीर्षक--5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
--04 जिला तथा अन्य सड़कें --आयोजनागत--800--अन्य व्यय--03 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि
अधिग्रहण--00--24 वृहत निर्माण कार्य के विभागीय आय--व्ययक में प्राविधानित निर्वतन पर रखी गई
धनराशि से किया जायेगा।

यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन
(x) में समायोजित की जाय।

उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012--13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.00 लाख का
(xi) बजट आबंटन, वित्त अनुभाग--1 के शासनादेश सं0--183/XXVII/1(1)/2012 दिनांक 28 मार्च,2012 के
अनुक्रम में,लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0--30 के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0--S1210300137
दिनांक 18 अक्टूबर,2012 द्वारा आपको आबंटित कोड सं0 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया
है।

2-- इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012--13 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान
सं0--30--लेखाशीर्षक--5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय--04 जिला तथा अन्य सड़कें
--आयोजनागत --800--अन्य व्यय--02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--02--05--नया
निर्माण कार्य--24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3-- यह आदेश वित्त अनुभाग--2 के अशासकीय संख्या--456/XXVII/(2)/2012 दिनांक 16
अक्टूबर,2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:-- 3819 /III(2)/12--15(प्रा0आ0)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग--2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त, लो0नि0वि0 पौड़ी गढ़वाल।
9. लोक निर्माण अनुभाग--1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

शासनादेश संख्या:- 3819 / III(2) / 12-15 (प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 स0	कार्य का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	कार्य हेतु प्रथम चरण की स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2012 -13 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पौड़ी में एस0सी0एस0पी0 योजना में अलकनन्दा नदी के ऊपर एन0एच0-58 मूल्यागॉव के समीप सीतासैण के निकट 200 मी0 स्पान गर्डर मोटर सेतु एवं 5.00 किमी0 पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00 किमी0+200 मी0 सेतु	79.00	0.50
2	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पौड़ी में एस0सी0एस0पी0 योजना में अरकनी-खन्दूखाल -मुछियाली मोटर मार्ग के किमी0 8. मटाखाली से कोल्टा,मुछिाली होते हुए ग्राम उतरासू,देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	13.00	163.80	0.50
	योग	18.00 किमी0+ 200 मी0 सेतु	242.80	1.00

(₹ एक लाख मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)